



2026:AHC:182430

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

आवेदन अंतर्गत धारा 528 बीएनएसएस संख्या - 32071 वर्ष 2026

रामदुलारी एवं 7 अन्य आवेदक (गण)

बनाम

उत्तर उत्तर प्रदेश राज्य एवं 1 अन्य विपक्षी (गण)

आवेदक (गण) के अधिवक्ता : सम्पूर्णानन्द

विपक्षी (गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 79

माननीय न्यायमूर्ति सौरभ श्रीवास्तव

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



1. आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया।
2. वर्तमान आवेदन दिनांक 10.4.2024 की आरोप-पत्र तथा विद्वान अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/अपर सिविल जज (सीनियर डिवीजन), न्यायालय संख्या 4, वाराणसी द्वारा पारित दिनांक 7.7.2026 के संज्ञान/समन आदेश तथा केस क्राइम संख्या 0059 सन् 2024 से उत्पन्न वाद संख्या 60951 सन् 2026 की सम्पूर्ण कार्यवाही को निरस्त किए जाने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है, जो अंतर्गत धारा 147, 506, 323, 504, 427, 354, 354ख भा.दं.सं., थाना लालपुर पाण्डेयपुर, जनपद वाराणसी में है।
3. आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि विपक्षी संख्या 2 के दुर्भावनापूर्ण आशय एवं गुप्त उद्देश्य के कारण आवेदकगण को वर्तमान मामले में झूठा फंसाया गया है। दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से उपर्युक्त धाराओं के अनुसरण में दंडनीय कोई अपराध आवेदकगण के विरुद्ध नहीं बनता है। वर्तमान मामला आवेदक संख्या 1 के कहने पर दर्ज कराई गई एफ.आई.आर. का प्रतिशोधात्मक प्रत्युत्तर है। एफ.आई.आर. में लगाए गए आरोप अस्पष्ट हैं और इस प्रकार आक्षेपित संज्ञान आदेश तथा आरोप-पत्र निरस्त एवं अपास्त किए जाने योग्य हैं।
4. इसके विपरीत, विपक्षीगण के विद्वान अधिवक्ता ने वर्तमान आवेदन के माध्यम से मांगी गई प्रार्थना का जोरदार विरोध किया तथा आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा लिए गए रुख का खंडन करते हुए प्रस्तुत किया कि आवेदकगण की ओर से उठाए जाने वाले तर्क विवादित तथ्यों से संबंधित होंगे और उनमें साक्ष्य का मूल्यांकन सम्मिलित होगा। यह भी प्रस्तुत किया गया कि संज्ञान लिए जाने के समय केवल

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



प्रथम दृष्टया मामला देखा जाना है और संबंधित न्यायालय से लघु विचारण करने की अपेक्षा नहीं की जाती है।

5. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत परस्पर विरोधी तर्कों को सुनने तथा अभिलेखों का परिशीलन करने के पश्चात यह न्यायालय इस मत का है कि समन किए जाने के चरण पर मजिस्ट्रेट को केवल अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री के आधार पर प्रथम दृष्टया राय दर्ज करना आवश्यक है तथा उससे लघु विचारण करने अथवा अभियुक्त के बचाव की जांच करने की अपेक्षा नहीं की जाती है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एस.डब्ल्यू. पलानीटकर और अन्य बनाम बिहार राज्य और अन्य; (2002) 1 SCC 241 के मामले में दिए गए निर्णय में यह निर्धारित किया गया था कि जो परीक्षण लागू किया जाना आवश्यक था, वह यह था कि क्या "कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार" है, न कि यह कि क्या "दोषसिद्धि के लिए पर्याप्त आधार" है। नूपुर तलवार बनाम सेंट्रल ब्यूरो ऑफ़ इन्वेस्टिगेशन और अन्य; (2012) 11 SCC 465 के मामले में यह दोहराया गया कि प्रक्रिया जारी करने के चरण पर सामग्री पर विचार करने का सीमित उद्देश्य अस्थायी प्रकृति का होता है, जो विचारण के दौरान प्रस्तुत वास्तविक साक्ष्य से भिन्न है; इस चरण पर लागू किया जाने वाला परीक्षण यह है कि क्या मजिस्ट्रेट के समक्ष रखी गई सामग्री "अभियुक्त के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त" है, न कि "दोष सिद्ध एवं स्थापित करने के लिए पर्याप्त" है।
6. हाल ही में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मुस्कान बनाम ईशान खान (सतानिया) एवं अन्य के मामले में, जो क्रिमिनल अपील संख्या 4752 सन् 2025 (एस.एल.पी. (क्रिमिनल) संख्या 1531 सन् 2025 से उद्धृत) में पारित किया गया, यह माना गया है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अंतर्गत न्यायालयों की शक्तियों के पहलू

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



पर यह सुस्थापित है कि निरस्तीकरण के चरण पर न्यायालय से लघु विचारण करने की अपेक्षा नहीं की जाती है। अतः निरस्तीकरण के संबंध में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अंतर्गत क्षेत्राधिकार कुछ हद तक सीमित है, क्योंकि न्यायालय को केवल यह विचार करना है कि अभियुक्त के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए कोई पर्याप्त सामग्री उपलब्ध है अथवा नहीं। यदि पर्याप्त सामग्री उपलब्ध है, तो धारा 482 के अंतर्गत शक्ति का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए।

7. अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री के अवलोकन से, इस स्तर पर यह नहीं कहा जा सकता कि आवेदकगण के विरुद्ध कोई अपराध नहीं बनता है। आवेदकगण द्वारा उठाया गया झूठे फंसाए जाने का कथन तथ्यात्मक विषय हैं, जिनका साक्ष्य के आधार पर विचारण न्यायालय द्वारा उचित रूप से न्यायनिर्णयन किया जाना आवश्यक है और धारा 528 बी.एन.एस.एस. के अंतर्गत कार्यवाही में उनका निर्णायक रूप से निर्धारण नहीं किया जा सकता है। धारा 528 बी.एन.एस.एस. के अंतर्गत कार्यवाही में यह न्यायालय लघु विचारण करने के लिए इच्छुक नहीं है।

8. यह सुस्थापित है कि धारा 528 बी.एन.एस.एस. के अंतर्गत अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग अत्यंत संयमपूर्वक एवं सावधानी के साथ किया जाना है, मुख्यतः न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने अथवा न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करने के लिए। वर्तमान मामले में इस न्यायालय के धारा 528 बी.एन.एस.एस. के अंतर्गत असाधारण क्षेत्राधिकार का आह्वान करने के लिए कोई पर्याप्त आधार नहीं बनाया गया है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



9. उपर्युक्त के दृष्टिगत, धारा 528 बी.एन.एस.एस. के अंतर्गत आवेदन मेरिट से रहित है और तदनुसार **निरस्त** किया जाता है। तथापि, आवेदकगण विधि में उपलब्ध जो भी उपचार हो, उसे प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र हैं।

(सौरभ श्रीवास्तव, न्यायमूर्ति)

31 अगस्त, 2026

शाश्वत

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।